भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROPAR



छात्रावास निवासियों के लिए नियम और विनियम RULES AND REGULATIONS FOR HOSTEL RESIDENTS 2019-20 Onwards

1. आवास/ACCOMMODATION

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ एक आवासीय संस्थान है इसलिए सभी छात्रों को छात्रावास में रहने की आवश्यकता है। जैसे कि प्रत्येक विद्यार्थी जिसने संस्थान में दाखिला लिया है उसे छात्रावास सीट किराया, छात्रावास प्रवेश शुल्क, स्थापना शुल्कों, रोगी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, निर्धारित छात्रावास मेस अग्रिम, आदि का भुगतान करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम की पूर्णता/संस्थान छोड़ने के बाद सभी लौटाने जाने योग्य देय जमाओं का निपटारा किया जाएगा।

(a) Indian Institute of Technology Ropar, is a residential Institute and hence all students are required to reside in the hostels. As such, every student who has been admitted to the Institute is required to pay hostel seat rent, hostel admission fee, establishment charges, in-patient health insurance premium, prescribed hostel mess advance, etc. All the refundable deposits will be dealt with after completion of the course of study/leaving the Institute.

पीएच.डी और एम.टैक विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों को शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार छमाही अंतराल के दौरान छात्रावास खाली करना होगा।

(b) All students except Ph.D. & M.Tech. Students must vacate the hostel accommodation during the semester breaks as per the Academic Calendar.

वैधानिक रुप से, प्रारंभिक पाठ्यक्रम/बी.टैक/एम.एससी/ दोहरी उपाधि विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध नहीं है। हांलाकि उसके/उसकी अनुरोध पर छात्रावास में रहने की अनुमति दी जा सकती है। और यदि वह किसी कोर्स वर्क/परियोजना कार्य/संस्थान कार्य/छात्रावास कार्य आदि कर रहा/रही है तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से रहने की अनुमति दी जा सकती है। कुछ आवासों के लिए प्रचलित दरों के अनुसार भुगतान शुल्क देना आवश्यक है।

(c) Statutorily, hostel accommodation is not available to Preparatory Course (PC)/ B.Tech. / M.Sc. / Dual Degree students during vacation. However, he / she may be permitted to stay in the hostel on request, and approval from the competent authority if he / she is doing any Course work/ project work / Institute work / Hostel work, etc. Such residents are required to pay charges as per the prevailing rates.

दोहरी उपाधि छात्रों को बी.टैक छात्रों के रुप में उनके पाठ्यक्रम के प्रथम चार वर्षों तक और एम.टैक छात्रों को अंतिम वर्ष तक माना जाएगा।

(d) Dual degree students will be treated as B.Tech. students for the first four years of their program and as M.Tech. Students for the last year.

छात्रावास सुविधा वर्ष भर एम.एस और पीएच.डी शोधार्थियों को उपलब्धता के आधार पर और संबंधित प्राधिकारी की अनुमति से प्रदान की जाती है। एम.एस. और पीएच.डी शोधार्थी छात्रावास को छमाही के मध्य में भी संस्थान द्वारा मुक्त किए जाने पर खाली कर सकते है। हालांकि, उन्हें पूरी छमाही के लिए स्थापना शुल्कों का भ्रगतान करना होगा। (e) Hostel accommodation, subject to availability and permission from the concerned authority, will be provided to M.S. and Ph.D. scholars throughout the year. M.S. and Ph.D. scholars shall vacate the hostel, even in the middle of the semester, once they are relieved from the Institute. However, they have to pay the Establishment charges for the entire semester.

विशेषरुप से ऊपर वर्णित न की गयी किसी भी श्रेणी से संबंधित छात्र/शोधार्थियों को उपलब्धता के आधारपर आवास दिया जाएगा। छात्रावास प्रबंधन ऐसे मामलों में अंतिम प्राधिकरण है। निदेशक, भा.प्रौ.सं.रोपड़ द्वारा छात्रावास प्रबंधन का गठन किया जाएगा।

(f) Students / Scholars belonging to any category not specifically mentioned above will be given accommodation subject to availability. The Hostel management is the final authority in such matters. Hostel Management will be constituted by the Director, IIT Ropar.

छात्रावास की सुविधा परियोजना कर्मचारियों को उनके अनुरोध के आधारपर एक सीमित अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है जो संस्थान में शोध उपाधि के लिए कार्य करने हेतु पंजीकृत है, जो कि उपलब्धता के अधीन बढ़ायी जा सकती है। उन्हें छात्रावास प्रंबंधन द्वारा निर्धारित कमरे हेतु किराया, स्थापना शुल्क और अन्य शुल्क के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा। छात्रावास के आवास का लाभ लेने वाले परियोजना कर्मचारी मकान किराया भत्ता के लिए पात्र नहीं है और संस्तान /आईसी और एसएआर/समन्वयक को इसके संबंध में सूचित किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कुछ छात्रावास आवास परियोजना सहायक / परियोजना सहयोगी / परियोजना अधिकारियों को भी दिया जा सकता है। उपर्युक्त सभी निवासियों/सीमाओं को उसी नियम से शासित किया जाता है जो संस्थान के नियमित छात्रों के लिए लागू होते है।

(g) Hostel accommodation may be provided to Project Staff who are registered for working towards a research degree at the Institute based on their request for a limited period, which could be extended, subjected to availability. They are required to pay in advance the room rent, establishment charges and any other charges as decided by the Hostel Management. Project staff availing hostel accommodation is not eligible for HRA_and should keep the Institute / IC & SR / Coordinator informed about the same. With the approval of competent authorities some hostel accommodation may also be given to Project Assistants / Project Associates / Project Officers. All the above mentioned residents/boarders are governed by the same rules as applicable to the regular students of the Institute.

2. आवंटन की शर्तें /CONDITIONS OF ALLOTMENT

छात्रावास में छात्रों और परियोजना कर्मचारियों के प्रवेश के समय और प्रति वर्ष के आरंभ में, प्रत्येक निवासी को छात्रावास कार्यालय में एक विधिवत पूर्ण व्यक्तिगत डेटा प्रपत्र जमा करने की आवश्यकता होती है। एक पासपोर्ट आकार की छायाचित्र निजी डेटा प्रपत्र में चिपकी हुईऔर एसटी कोड़ के साथ माता-पिता / अभिभावक के दूरभाष संख्या, यदि उपलब्ध है, प्रदान किया जाना चाहिए। माता-पिता की ई-मेल (यदि उपलब्ध हो) भी प्रदान की जानी चाहिए। किसी भी समय माता-पिता / स्थानीय अभिभावक के पते / दूरभाषा संख्या में कोई भी परिवर्तन के संबंध में छात्रावास कार्यालय को लिखित में सूचित किया जाना चाहिए।

(a) At the time of admission of student and project staff into the hostel and at the beginning of every year, each resident is required to submit a duly completed personal data-form in the hostel office. A Passport size photograph is to be affixed in the personal data-form and the telephone number of the parent/guardian with STD code, if available, must be provided. Local Guardian's address and phone number, if available, must be provided. E-mail of the parent (if available) should also be provided. Any change of address / telephone number of the parent / local guardian, at any point of time, has to be intimated to the hostel office in writing, immediately.

छात्रावास प्रबंधन प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक कमरे में बिस्तर, अध्ययन-मेज और कुर्सी ऐसे न्यूनतम फर्निचर उपलब्ध करेगा।

(b) The Hostel Management will generally provide minimum furniture for each room consisting of one cot, study-table and chair for each student.

एक शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रों को आवंटित कमरें चरम परिस्थितों को छोड़कर नहीं बदला जाएगा।

(c) Rooms once allotted to the students for an academic year will not be changed except in extreme circumstances.

छात्रावास प्रबंधन प्रत्येक कमरे में रखे जाने वाले छात्रों की संख्या तय करेगा।

(d) The Hostel Management shall decide the number of students to be kept in each room.

यदि छात्रावास में रहने की अवधि के दौरान किसी भी छात्र की स्थिति बदलती है, तो उसे शीघ्र वार्डन/छात्रावास कार्यालय को सूचित करना होगा और छात्रावास खाली करना होगा।

(e) If the status of any student changes during the period of stay in the hostel, he / she is required to inform the Warden / Hostel office immediately and should vacate the hostel.

यदि छात्रावास प्रबंधन को पता चलता है कि छात्र छात्रावास आवास के लिए पात्र नहीं है, तो उसे तुरंत छात्रावास आवास खाली करना होगा।

(f) If the Hostel Management finds that the student is not eligible for hostel accommodation, he/she will have to vacate the hostel accommodation immediately.

छात्र छात्रावास में आवास के लिए तभी तक हकदार है जब तक वे पूर्णकालिक पंजीकृत छात्र हैं। किसी ऐसे छात्र को आवास प्रदान नहीं किया जाएगा जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। किसी भी छात्र जो कुछ या अन्य क्षमता (उदाहरण के लिए परियोजना कर्मचारी) में संस्थान से संबद्ध नहीं है, छात्रावास का सदस्य होने के लिए स्वचालित रुप से समाप्त हो जाएगा।

(g) The students are entitled for accommodation in the hostel as long as they are full time registered students. Accommodation will not be provided to any student whose registration is cancelled. Any student who is not associated with the Institute in some or other capacity (e.g. Project Staff) will automatically cease to be a member of the hostel.

3. छात्रावास में आवास की जगह से छूट / EXEMPTION FROM RESIDENCE IN HOSTEL

छात्रावास में रहने से छूट प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को शैक्षणिक अनुभाग के माध्यम से अधिष्ठाता / सह अधिष्ठाता विद्यार्थी मामले को प्रत्येक छमाही के लिए पृथक आवेदन करना होगा। छात्र द्वारा उद्धृत परिस्थितियों की वास्तविकता के आधार पर उसे अधिष्ठाता / सह अधिष्ठाता विद्यार्थी मामले द्वारा छात्रावास में रहने से छूद दी जा सकती है।

(a) Students, who wish to seek exemption from stay in the hostel, will have to make specific application separately for every semester to the Dean/Associate Dean Students Affairs through Academic Section. Based on the genuineness of the circumstances cited by the student he/she may be exempted from residing in the hostels by the Dean / Associate Dean Students Affairs.

यदि कोसी छात्र को छात्रावास प्रबंधन द्वारा छात्रावास में कमरों की कमी के कारण छात्रावास में जगह नहीं दी जाती तो छात्रावास प्रबंधन के लिए शुल्क का भुगतान करने से पूरी छूट अधिष्ठाता / सह अधिष्ठाता विद्यार्थी मामेल की स्वीकृति से दी जा सकती है जब तक कि आवास उपलब्ध कराया जाता है।

(b) If any student is denied a room in the hostels by the Hostel Management due to paucity of rooms, then a complete exemption from payment of charges to Hostel Management may be granted to the student by the Dean/Associate Dean Students Affairs till the accommodation is made available.

4. आचार संहिता / CODE OF CONDUCT

सभी निवासियों को प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों से अपेक्षित व्यवहार के मानकों को बनाएं रखना आवश्यक है। उनसे परिसर के भीतर और बाहर हर एक के साथ विनम्र और निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा करते हैं।

(a) All residents are required to maintain standards of behavior expected from the students of prestigious institutions. They are expected to behave courteously and fairly with every one, both inside and outside the campus.

संस्थान में रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। छात्रों के द्वारा इसका कोई भी उल्लंघन गंभीर रुप से लिया जाएगा। इसकी सजा गंभीर/कठोर होगी (देश में प्रचलित नवीनतम कानून के अनुसार) और छात्रावास तथा संस्थान से निष्कासन हो सकता है।

(b) Ragging is totally banned in the institute. Any violation of this by the students will be dealt with severely. The punishment will be severe / harsh (as per the latest law prevailing in the country), and can lead to expulsion from the hostel and the Institute.

सभी निवासियों को संस्थान द्वारा जारी वैध पहचान पत्र हर समय अपने साथ रखना आवश्यक होगा।

(c) All residents are required to carry their valid Identity Cards issued to them by the Institute all the time.

रात्रि 11 बजे से पहले सभी छात्रों को छात्रावास में लौटने की उम्मीद है। अगर छात्र भा.प्रौ.सं.रोपड़ परिसर में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पहुं च रहे हो तो उन्हें इस संबंध में छात्रावास वार्डन से पूर्व अनुमित (अधिमानतः एक दिन पहले) ई-मेल के साथ (एक प्रति विद्यार्थी मामले कार्यालय में) देनी होगी।

(d) All the students are expected to be back in the hostels before 11.00 pm. Students have to take prior permission (preferably one day before) from the concerned hostel warden, via email (with a copy to SA office) if they are reaching IIT Ropar campus between 11 PM and 6 AM.

कोई भी छात्र जो छात्रावास से सप्ताहांत, छुट्टियों या किसी अन्य समय के दौरान छात्रावास से

दूर रहना चाहता है, को वार्डन से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

(e) Any student who wishes to be away from the hostel during weekend, holidays or any other time, has to take prior permission from the Warden.

निवासी अपने आवंटित छात्रावास कमरे की देखभाल के लि ए जिम्मेदार हैं। उन्हें छात्रावास कार्यालय के संज्ञान में लाना चाहिए ताकि उनके कमरों में किए जाने वाले सभी नियमित रखरखाव कार्य (सिविल और विद्युत), यदि कोई हो।वर्तमान में, छात्रावास के प्रत्येक कमरे में कॉट, अलमारी, स्टडी टेबल, स्टडी चेयर, सिलिंग फैन और लाइटस प्रदान की जाती है।

(f) Residents are responsible for the upkeep of his/her allotted hostel room. They should bring to the notice of the hostel office all routine maintenance works (Civil and Electrical), if any, to be carried out in their rooms. At present, every room in the hostel is provided with Cot, Almirah, Study Table, Study Chair, Ceiling Fans and lights.

छात्रों को उनके संबंधित कमरों में रखरखाव का काम करने में छात्रावास प्रबंधन के साथ सहयोग करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अपने कमरा खाली करना चाहिए। ऐसे अवसरों पर, प्रबंधन उपलब्ध होने पर वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

(d) Students should cooperate with Hostel Management in carrying out the maintenance work in their respective rooms and should vacate their rooms if required. On such occasions, the management will try to provide alternate accommodation, if available.

छात्रों को उनके संगणकों और आम करमरे में पायरेटेड/अनधिकृत / बिना लाइसेंस वाली फिल्मों को दिखाना नहीं चाहिए। इस प्रकार के किसी भी उल्लंघन को गंभीर रुप से लिया जाएगा। इस संबंध में सजा अधिकारियों दवारा तय की जाएगी।

(e) The students should not screen pirated / unauthorized / unlicensed movies in their computers and common rooms. Any violation will be dealt severely. Punishment for the same will be decided by authorities.

कमरे के निवासी उस कमरे की संपत्ति पर किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेदार है, जिसे कमरा आवंटित किया गया है, जिसपर अधिकारियों द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। छात्रावास कार्यालय में फर्नीचर और अन्य वस्तुओं की इन्वेंट्री को भरना आवश्यक होगा और कमरा बदलने /खाली करने के समय सुर्पूर्द किए गए फर्निचर और अन्य सामग्रीयों को अच्छी स्थिति में वापिस करना होगा।

(f) The resident of a room is responsible for any damage to the property in the room during his / her occupancy of that room failing which fine will be imposed by the Authorities. He / she is required to fill in the inventory of the furniture and other items available, at the hostel office and hand over the furniture and other materials in good condition when he / she changes / vacates the room / hostel.

निवासी अपने उचित आवंटन स्थान से किसी भी फर्निचर / फिटिंग को स्थानांतरित नहीं करेगा और किसी भी तरह से इसे नुकसान भी नहीं करेगा। यदि कमरे में छात्रावास से संबंधित अन्य कोई अतिरिक्त वस्तुएं हैं, तो कमरे में रहनेवाले को उन्हें छात्रावास कार्यालय में सौंप दिया जाएगा, जो कि विफल हो जाने पर उसे छात्रावास प्राधिकरण द्वारा तय किए गए जुर्माना पर लगाया जाएगा।

(g) The resident shall not move any furniture/fittings from its proper allotted place and also not damage it in any way. If there are any additional items other than the above belonging to the hostel in a room, the occupant of the room shall hand them over to the Hostel Office, failing which he / she will be charged a penalty as decided by the Hostel Authority. निवासियों को दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों और अलमारियों पर पोस्टर / चित्र आदि को चिपकाना नहीं चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर प्राधिकरण दवारा जुर्माना लगाया जाएगा।

(h) The residents shall not paste any posters / pictures etc., on the walls, doors, windows and shelves failing which fine will be imposed by the Authorities.

छात्रावास परिसर में धूम्रपान और शराबी पेय/नशीली दवाओं का उपभोग करना सख्त वर्जित है। छात्र नशा / नशीली स्थिति में छात्रावास के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा और ऐसी सामग्रियां उसके पास नहीं होनी चाहिए। छात्रों को उपयोग की गई / खाली मादक बोतलें, उपयोग किए गए / खाली पाउच, बट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई निवासी इसका उल्लंघन करते हु ए पाया जाता है तो उसपर गंभीर कार्रवाऊ की जाएगी, जिसके परिणामस्वरुप छात्रावास से अथवा संस्थान से निकाला जा सकता है। संपूर्ण परिसर धूम्रपान मुक्त क्षेत्र है।छात्र छात्रावास परिसर के भीतर अथवा बाहर धूम्रपान न करें।

(I) Smoking, and consuming alcoholic drinks and / or narcotic drugs in the hostel premises is strictly prohibited. Student shall not enter the hostel premises in intoxicated/inebriate state and should not possess such materials. Students shouldn't possess used/empty alcoholic bottles, used/empty pouches, used buds. Severe action will be taken if any resident is found to violate this, resulting in expulsion from hostel and rustication from the Institute. The entire campus is smoke-free zone. Students should not smoke either inside or outside the hostel premises.

किसी भी प्रकृति की असामान्य गतिविधियों, जो पड़ोसियों के परेशानी का कारण बने कमरे में नहीं की जानी चाहिए।

(m) Abnormal activities of any nature, causing disturbance to the neighbor should not be carried out in the room.

निवासियों को परिसर में अथवा बाहर किसी भी गैर-राष्ट्रीय विरोधी, समाज विरोधी अथवा अवांछनीय गतिविधि में भीग नहीं लेना चाहिए।

(n) Residents should not participate in any anti-national, anti-social or undesirable activity in or outside the campus.

डायनिंग हॉल, कॉमन रुम और लाउंज जैसे आम क्षेत्रों को छोड़कर लड़कों के छात्रावास में कोई महिला को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। महिला छात्रावास में लड़को/पुरुषों को जाने की अनुमति नहीं है। हांलाकि माता-पिता / कानूनी अभिभावक महिला छात्रावास में (अधिकारियों की अनुमती के साथ) जा सकते है और मिलनेके समय के दौरान अर्थात सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आम कमरे / आगंत्क कक्ष में मिल सकत है।

(o) No female boarder/non boarders is allowed to enter into the boys' hostel except the common areas such as dining hall, common room and lounge. Boys / men

are not allowed in girls' hostel. However parents / legal guardians can visit a girl's hostel (with the permission of the Authorities) and meet the resident in the common room/visitor room during the visiting hour, namely 7.00 am to 6.00 pm.

5. अतिथियों / आगंतुकों GUESTS/VISITORS

छात्र के कार्यालय के कार्यालय में आवश्यक शुल्क के भुगतान पर वार्डन की पूर्व अनुमोदन के साथ एक निवासी के अतिथि (गैर बोर्डर) को अधिक से अधिक दो दिनों से तक छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(a) A guest (non boarder) of a resident may be allowed to stay in the hostel for not more than two days with prior approval of the Warden on payment of necessary charges at the office of the Students Affairs.

अनधिकृत मेहमानों को मनोरंजन करने से हॉस्टल के निष्कासन सहित कठोर सजा का सामना किया जाएगा।

(b) Entertaining unauthorized guests will be dealt with severe punishment including expulsion from the Hostel.

विपरीत लिंग के किसी भी व्यक्ति को छात्रावास के कमरे में रात भर रहने की अन्मति नहीं दी जाएगी।

(c) No person of the opposite gender shall be permitted to stay overnight in the hostel room.

माता-पिता / अभिभावक सहित छात्रावास में आने वाले सभी आगंतुकों को सुरक्षा गार्ड के साथ छात्रावास के प्रवेश दवार पर उपलब्ध विज़िटर बुक में आवश्यक प्रविष्टियां करनी होगी।

(d) All visitors to the hostel including the parents / guardian will have to make necessary entries in the visitor's book available at the hostel entrance with the security guard.

6. बोर्डींग / BOARDING

छात्रावास प्रबंधन द्वारा तय किए गए कुछ वास्तविक मामलों को छोड़कर सभी निवासियों के लिए मेस सुविधा का अनिवार्य होगी।

(a) Availing of mess facility is mandatory for all the boarders except in a few genuine cases, as decided by the Hostel Management.

मैस छूट केवल तभी मान्य की जाएगी, जब एक निवासी शैक्षणिक कारणों / चिकित्सा आधार पर विभाग प्रमुख, वार्डन और अधिष्ठाता / सह अधिष्ठाता विद्यार्थी मामलों के पूर्व अनुमोदन के साथ गया हो। व्यक्तिगत धरातल पर न्यूनतम 3 दिनों की और एक सेमेस्टर में अधिकतम 15 दिनों की छूट स्वीकार्य होंगी। किसी अन्य मामले में, अग्रिम सूचना के बिना, मेस छूट नहीं दी जाएगी।

(b) Mess rebate will be considered only when a resident is away on Academic reasons / Medical grounds with prior approval of the HOD, the Warden and Dean/Associate Dean Students Affairs. On personal ground mess rebate of minimum 3 days and maximum 15 days in a semester will be admissible. In either case, without advance intimation, mess rebate will not be given.

छात्रावास मेस अग्रिम छमाही आधार पर एकत्र की जाती है और छात्रों को ईमेल / नोटिस बोर्ड के माध्यम से परिचालित के रूप में मासिक बकाया राशि के हिसाब से समायोजित किया जाता है। छात्रावास के कार्यालय से अपने मेस के बकाए के विवरण एकत्र करने के लिए छात्र की जिम्मेदार है, अगर बिल में कोई विसंगति है, तो वह जल्द से जल्द छात्रावास कार्यालय से संपर्क करेगा। मेस बिल का भुगतान रसीद / छात्रवृत्ति की प्राप्ति न होने के साथ कोई संबंध नहीं है।

(c) Hostel mess advance is collected on semester basis and adjusted against monthly dues as circulated to the students through email/notice board. It is the responsibility of the student to collect the details of his / her mess dues from the hostel office, if there is any discrepancy in the bill, he/she will contact the hostel office at the earliest. Payment of mess bill has no connection with receipt/non receipt of scholarship.

निवासी भोजन कक्ष में व्यवस्थित से व्यवहार करेंगे और उचित परिधान संहिता का पालन करेंगे। डाइनिंग हॉल में प्रवेश पहचान पत्र / स्मार्ट कार्ड / मैस कार्ड के दिखाने पर है।

(d) Boarders shall behave properly in the dining halls and shall follow proper dress code. Entry into the dining hall is on production of ID / Smart Card / Mess Card.

मैस बिल प्रत्येक महीने की 10 तारीख या उससे पहले संबंधित छात्रों को दिखाया / ईमेल किया जाएगा।

- (e) Mess bill will be displayed/ emailed to the concerned students on or before 10th of every month.
- 7. उपकरणों का उपयोग / USE OF APPLIANCE

निवास के लिए आबंटित किसी भी कमरे में इर्मशन हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव / हीटर जैसे बिजली के उपकरण का उपयोग मना है। छात्रावास / छात्र के कमरे में निजी खाना पकाना सख्ती से प्रतिबंधित है ऐसे उपकरण, यदि मिले, तो जब्त कर लिए जाएंगे और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

(a) The use of electrical appliance such as immersion heaters, electric stove / heaters are forbidden in any of the rooms allotted for residence. Private cooking in the hostel / student's room is strictly forbidden. Such appliances, if found, will be confiscated and a fine will also be imposed.

ऑडियो सिस्टम का उपयोग जो अन्य निवासी के लिए असुविधा का कारण हो सकता है का उपयोग निषिद्ध है। निजी टीवी, वीसीआर और वीसीडी / डीवीडी का उपयोग निषिद्ध है।

(b) The use of audio system which may cause inconvenience to other occupants are not allowed. The use of personal TV, VCR and VCD / DVD is prohibited.

अकादमिक उद्देश्य के लिए एक निवासी द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति है। निजी कंप्यूटर को फिल्मों को देखने या खेल खेलने सहित आपत्तिजनक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

(c) Use of personal computer by a resident for academic purpose is permitted. The PC should not be used for objectionable purposes including watching movies / playing games.

जब छात्रों को अपने कमरे से बाहर जाएं तो उन्हें सभी विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करना चाहिए, और इसे बंद करके (सभी समय पर) रखे । उल्लंघन अधिकारियों द्वारा तय किए गए उपयुक्त दंड और सजा को आकर्षित करेगा।

(d) When the students go out of their room they should switch off all the electrical / electronic appliances, and keep it locked (at all times). Violation will attract suitable penalty and punishment as decided by the authorities.

छात्रों को छात्रावास में स्थापित किए गए आम कमरे, नेटवर्क स्विचेस में रखे गए पीसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(e) Students should not meddle with the PCs kept at the common room, Network switches, which are installed in the hostel

छात्रावास में लॉंड्री सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास के सभी निवासियों को सामान्य शुल्क के भुगतान पर कपड़े धोने / इस्त्री करने की सुविधा मिल सकती है।

(f) Laundry facility is available in hostels. All the residents of the hostels may avail the facility of washing/ironing of the clothes on payment of usual charges.

8. सामूहिक उत्तरदायित्व / COLLECTIVE RESPONSIBILITIES

छात्रावास की संपत्तियों का सामान्य नुकसान सभी निवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी और उन्हें ऐसे

अच्छे नुकसान की आवश्यकता होगी, यदि उन छात्रों ने जो क्षति का कारण बना है, उन्हें पहचान नहीं सका। (a) General damage of the hostel properties will be the collective responsibility of all residents and they will be required to make good such damage, if the students who caused the damage could not be identified.

निवासी को प्रथाओं / गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए, जो कि उनकी अपनी निजी सुरक्षा के साथ-साथ अन्यों को भी खतरे में डाल सकती है।

(b) Resident should not indulge in practices / activities, which may endanger their own personal safety as well as others.

अपने सामान की सुरक्षा के लिए निवासी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(c) Residents shall be personally responsible for the safety of their belongings.

निवासियों के लिए परिसर के भीतर सभी यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। (d) Residents are required to obey all traffic rules inside the campus.

निवासियों का वार्डन / छात्रावास कर्मचारियों को रिपोर्ट करना कर्तव्य है यदि वे छात्रावास में या परिसर में चलने किसी भी अवांछित घटनाओं या अवांछनीय गतिविधि पाते हैं।

(e) Residents are duty bound to report to the Warden / Hostel staff on duty in case they notice of any unwanted incidents or undesirable activity going on in the hostel or on the campus.

छात्रों द्वारा शक्तिशाली वाहन का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले छात्रावास निवासी वाहन के संरक्षण के साथ सजा के लिए उत्तरदायी हैं।

(f) Use of powered vehicle by students has been banned. Hostel Residents violating this rule are liable for punishment along with confiscation of vehicle.

छात्रों को वार्डन/संबधित अधिकारियों की विशिष्ट अनुमति के बिना छात्रावास के भीतर अथवा बाहर अथवा संस्थान परिसर में किसी भी समारोह अथवा बैठक का प्रबंध नहीं करना चाहिए।

(g) Students should not arrange any function or meeting within the hostel or outside or within the Institute campus without specific permission of the Warden / Concerned Authorities. छात्रों को बिना संबंधित वॉर्डन / प्राधिकरण की विशिष्ट अनुमति के बाहर में किसी भी पिकनिक की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए।

(h) Students should not arrange any picnic outside without specific permission of the Warden / Authorities concerned.

निवासी को पर्यावरण के बारे में जागरूक होना जरूरी है जिसमें जीते है इसे स्वच्छ, स्वस्थ और पेशनीय रखना चाहिए। छात्रों को अंधाधुंध रूप से कूड़े नहीं फेंकना चाहिए और "प्लास्टिक का उपयोग और फेंकना" नहीं चाहिए।

(i) Residents are required to be conscious of the environment in which they live by keeping it clean, healthy and presentable. Students should not throw litter indiscriminately and should not "use and throw plastic" items.

निवासियों को एक क्रम में व्यवस्थित ढंग से उनके लिए उपलब्ध स्थानों पर साइकिल पार्क करने की आवश्यकता है। प्रवेश दवार या गलियारों पर कोई साइकिल नहीं खड़ी होनी चाहिए।

(j) Residents are required to park the cycles only in the space provided for them in an orderly manner. No cycles should be parked at the entrance or the corridors.

छात्रावास से किसी सामान को लेने से पहले छात्रों को वार्डन से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

(k) Students should take prior permission from the Warden, before taking any belongings out of the hostel.

छात्रावास के निवासी अपने निजी सामान के सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि सभी मूल्यवान वस्तुओं जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को बंद करके रखें। कृपया थोड़े समय के लिए भी कमरे से बाहर निकलते समय कमरे को लॉक कर दें।

(I) The resident of the hostel are responsible for the safe - keeping of their personal belongings. They are advised to keep under lock all valuable items such as Laptop, Mobile Phone etc. Please lock the room when you are out even for a short period.

छात्रों को मेस से प्लेट / चम्मच / कटलरी जैसे बरतन उनके कमरे में नहीं ले जाने चाहिए। ऐसे उल्लंघन के लिए शूल्क लिया जाएगा।

(I) Students should not take utensils from mess like plate / spoon / cutlery to their room. Fine will be charged for such violations.

छात्रों को कमरे / मेस हॉल में किसी पालतू जानवर को नहीं लाना चाहिए या न हीं ऐसे अभ्यास को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(m)Students should not bring any pet animal into the rooms / mess halls or encourage such practice.

खाद्य और पानी के संबंधित कोई शिकायत / सुझाव को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु वॉर्डन / सहायक वार्डन / महासचिव / मेस सचिव के तत्काल ध्यान में लाया जाना चाहिए।

(n) Any complaints / suggestion regarding food and water should be brought to the immediate attention of the Warden / Asst. Warden / General Secretary / Mess Secretary for corrective action.

छात्रावास के कमरे के बाहर / बिना अनुमोदित एजेंसियों को फास्ट फूड / पैक किए गए भोजन की खपत को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। किसी भी मामले में, छात्रावास के कमरे के बाहर खाद्य वस्तुओं के गैर-जिम्मेदार निपटान से आवारा जानवरों को आकर्षित किया जाएगा और यह सराहनीय नहीं हैं।

(o) The consumption of fast food / packed food delivered to the hostel room by outside / unapproved agencies is not encouraged. In any case, irresponsible disposal of food items outside the hostel room will attract the stray animals and is not encouraged.

9. छात्रावास प्रबंधन के अधिकार / RIGHTS OF HOSTEL MANAGEMENT

इन नियमों का उल्लंघन किसी भी जांच को आमंत्रित करेगा जो छात्रावास प्रबंधन द्वारा आयोजित की जाएगी। अगर छात्रावास निवासी दोषी पाया जाता है, तो हॉस्टल प्रबंधन अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा जिसे उपयुक्त समझा जाएगा। इस मामले के आधार पर, प्रबंधन ने छात्रावास से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने, निष्कासन

की कमी, कम समय पर सूचना का अधिकार सुरक्षित रख लिया है।

Any breach of these rules will invite an enquiry which will be conducted by the Hostel Management. If the hostel resident is found guilty, then the Hostel Management will take disciplinary action that it may deems fit. Depending on the case the Management reserves the right to take disciplinary action, amounting to expulsion, at short notice, from the hostel.

छात्रावास प्रबंधन ने इस नियम को इन नियमों को समय-समय पर बदलने का अधिकार सुरक्षित रखा है ताकि

छात्रों को छात्रावास सूचना फलक पर सामान्य परिपत्रों के माध्यम से सूचित किया जा सके।

The Hostel Management reserves its right to change these rules from time to time keeping the students informed through general circulars displayed on the hostel notice boards

हमारा परिसर चमकदार फूलों और पशु से सुंदर है। इसे स्वच्छ और हराभरा रखने में हमें सहायता करें।

OUR CAMPUS IS BEAUTIFUL WITH DIVERSE FLORA AND FAUNA.

HELP US TO KEEP IT CLEAN AND GREEN.

मैंने / हमने छात्रावासियों के निवासियों के नियमों और विनियमों को पढ़ लिया है
और उन्हें समझ लिया है। मैं / हम इन नियमों का पालन करने के लिए सहमत
हैं।I/We have read the Rules and Regulation for Hostel Residents and
understood them. I/We hereby agree to abide by these rules.

माता-पिता का नाम/Parent's Name :	
विद्यार्थी का नाम/Name of the Student :	
पता / Address :	
पिन कोड	
/Pin	
Code	
दिनांक/D	
ate :	

विद्यार्थी के हस्ताक्षर/Signature of the Student

माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर/Signature of the Parent / Guardian

(छात्रों को यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु आवश्यक/required for fresh students being admitted to the UG program)

ध्यान दें: उपरोक्त विवरणों को प्रवेश के समय छात्रावास कार्यालय में जमा किया जाता है। छात्र को किसी विशेष रिक्त

स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए।

Note : The above particulars are to be filled up and submitted in the hostel office at the time admission. The student should not leave any particulars blank.

I/We have read the Rules and Regulation for Hostel Residents and Understood them. I/We hereby agree to abide by these rules.

Parent's Name

Name of the Student : _____

Address

:_

Pin Code Date :

Signature of the Student

Signature of the Parent / Guardian

(required for fresh students being admitted to the UG program)

Note : The above particulars are to be filled up and submitted in the hostel office at the time of admission. The student should not leave any particulars blank.